

कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय मक्सी जिला शाजापुर म.प्र

फोन फेक्स 07363233746 ईमेल

hegcmaksha@mp.gov.in

क्रमांक / 739 / जभा / 2022

मक्सी दिनांक 25/07/2022


॥ आवेदन आमंत्रण विज्ञापित ॥

शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा स्ववित्तिय योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत भूगोल विषय के अध्यापन के लिए पद की पूर्ति हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

क्र०	विषय	अतिथि विद्वानों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मानदेय दर
01	भूगोल	01	यू.जी.सी के मापदण्ड एवं म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नवीनतम आदेश अनुसार	रु 9000/- प्रति माह

नोट:- शैक्षणिक योग्यता यूजीसी के मापदण्ड अनुसार

- चयन हेतु मापदण्ड :- आवेदन पत्र प्राचार्य/सचिव जनभागीदारी समिति के नाम से प्रेषित किये जावें । लिफाफे के ऊपर विषय का नाम अवश्य लिखें । उपरोक्त विषयों में अध्यापन कार्य हेतु अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रण हेतु शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानदण्डों के आधार पर आमंत्रण हेतु एक गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी । उपरोक्त व्यवस्था सीमित समयवधि के लिए है तथा नियत प्रतिकार्य दिवस मानदेय के आधार पर है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी । किसी भी स्थिति में लोक सेवक नहीं माने जायेंगे । यह व्यवस्था किसी भी प्रकार से शासकीय सेवा का भाग नहीं है । आवेदनकर्ता को निश्चित मानदेय में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रतिदिन कार्य करने की बाध्यता रहेगी ।
- मानदेय:- अतिथि विद्वानों को प्रतिमाह रु 9000/- मानदेय प्रस्तावित है । अतिथि विद्वानों को प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कार्यों को करना होगा ।
- आवेदन की अंतिम तिथि विज्ञापन प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर रहेगी ।
- महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने संशोधित करने का समस्त वैधानिक अधिकार रहेगा ।
- योग्य आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र समस्त मूल प्रमाण पत्रों की छाया प्रति के साथ कार्यलयीन समय में 07 दिवसों के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करें । विलंब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा ।
- पदों की संख्या में परिवर्तन निरसन, विज्ञापित को आंशिक या पूर्णतः निरस्त करने, मानदेय राशि की परिवर्तन का पूर्ण अधिकार महाविद्यालय प्राचार्य/सचिव का रहेगा ।
- चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रदत्त दायित्वा का असंतोष निर्वहन होने पर या अनुशासन संबंधी विवाद की स्थिति में पद से हटायें जाने का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य का रहेगा । प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा ।


प्राचार्य/सचिव 25/7/22
जनभागीदारी समिति
शा.महाविद्यालय मक्सी
शासकीय महाविद्यालय मक्सी
जिला-शाजापुर